

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 7(1)(1)पंचा/रानिआ/2020/III/ 5454

दिनांक: 09.11.21

जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर)
बारां, कोटा, करौली एवं श्रीगंगानगर।

विषय:- पंचायतीराज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) के आम चुनाव हेतु प्रारंभिक तैयारियां।

महोदय,

पंचायतीराज संस्थाओं के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव कराने से पूर्व चुनाव संबंधी विभिन्न गतिविधियों पर प्रारंभिक तैयारियां आप द्वारा यथासमय पूर्ण की जानी आवश्यक है। अतः चुनाव कार्य के निर्बाध संचालन के लिए निम्न बिन्दुओं पर चुनाव संबंधी तैयारियां यथासमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें :-

1. निर्वाचक नामावली को अद्यतन करने के संबंध में - जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव हेतु तैयार की गई निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन दिनांक 19.04.2021 को किया जा चुका है। निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् भी लोकसूचना जारी होने तक निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के अंतर्गत मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने, विलोपित करने तथा अशुद्धियों को शुद्ध करने के प्रावधानों के अनुसार संशोधन हो सकता है। अतः मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् जो कमियां रह जाए, उन्हें आयोग के पत्रांक 6768 दिनांक 15.10.2015 में दिए गए निर्देशों के अधीन रहते हुए सही करवाया जावे।

आयोग के पत्रांक 6768 दिनांक 15.10.2015 के द्वारा यह निर्देश प्रदान किए हुए हैं कि निर्वाचन की लोक सूचना जारी किए जाने की तिथि से 10 दिवस पूर्व तक प्राप्त आवेदनों को ही निस्तारित किया जाए। प्राप्त लम्बित आवेदनों को राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 20 के अनुसार निस्तारित कर निर्वाचक नामावली (श्रीगंगानगर जिले की पंचायत समिति सादुलशहर की ग्राम पंचायत धर्मसिंहवाला, पन्नीवाली एवं रोटावाली को छोड़कर) को अद्यतन किया जाए। निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् निरन्तर अद्यतन (Continuous updation) की प्रक्रिया में नाम जोड़ने, हटाने, अंतरण करने या शुद्ध करने की कार्यवाही नियम 23 या 58 के अंतर्गत लोक नोटिस जारी होने से पूर्व तक की जा सकती हैं। नियम 20 के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वविवेक से नाम हटाने एवं अंतरण करने की कार्यवाही एक विहित प्रक्रिया के अधीन की जा सकती है।

अतः निर्वाचक नामावली में अंकित मृत अथवा दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं एवं अपने निर्वाचन क्षेत्र से भिन्न किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं के अन्तर्ण की कार्यवाही करने हेतु भी संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को समुचित निर्देश जारी किए जाए।

2. सहायक मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव - कृपया यह सुनिश्चित करें कि किसी भी मतदान बूथ पर एक से अधिक पंचायत समिति/जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सम्मिलित नहीं है। यदि ऐसा कोई मामला पाया जाता है तो इस हेतु पूर्व में प्रेषित प्रस्तावों के अतिरिक्त सहायक मतदान बूथ स्थापित करने के लिए अतिरिक्त प्रस्ताव प्रेषित किए जाने हैं तो उक्त प्रस्ताव आयोग को 7 दिवस में आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति - आयोग के आदेश क्रमांक 4432/31.12.99 एवं 6105/10.12.09 के द्वारा जिला परिषद सदस्यों के चुनाव हेतु जिले के जिला कलक्टर को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया हुआ है। सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति आपके प्रस्तावानुसार आयोग के पत्रांक 1971 दिनांक 24.03.2021 एवं 10092 दिनांक 19.11.2020 के द्वारा की जा चुकी है। यदि वर्तमान में नियुक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी में कोई परिवर्तन अपेक्षित है अथवा अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की जानी है तो, प्रस्ताव आयोग को दिनांक 16.11.2021 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करें।

पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा ही रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किये जाने का नियमों में प्रावधान है। उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारियों/सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नामजद सूची मय दूरभाष (कार्यालय एवं मोबाईल नम्बर) एवं ई-मेल एड्रेस के, आप द्वारा पूर्व में आयोग को भिजवाई गई थी। यदि पूर्व में प्रेषित सूची में इस दौरान कोई परिवर्तन हुआ हो तो परिवर्तन सहित नवीन सूची आयोग को दिनांक 20.11.2021 तक आवश्यक रूप से प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करें।

4. **मतदान दलों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण** – राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 31 के अंतर्गत मतदान दलों की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जावेगी। अतः मतदान दलों की नियुक्ति एवं चुनाव कार्य में नियोजित किए जाने वाले कार्मिकों की संख्या का आकलन कर उनकी नियुक्ति एवं प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था शीघ्र कर लेवे। मतदान दलों के गठन के संबंध में आयोग द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2043 दिनांक 13.06.2019 के द्वारा निर्देश प्रदान किए हुए हैं। मतदान दलों के गठन हेतु NIC द्वारा निर्मित आपको उपलब्ध कराए गए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा सकता है।

मतदान दलों को दो प्रशिक्षण दिए जाने हैं। प्रथम प्रशिक्षण में मतदान अधिकारी एवं सहायक मतदान अधिकारी प्रथम को सम्मिलित किया जाना है। द्वितीय प्रशिक्षण मतदान दलों की रवानगी के दिन मतदान दल के सभी सदस्यों को दिया जाएगा। यदि किसी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रशिक्षण या प्रथम प्रशिक्षण में अतिरिक्त सहायक मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता महसूस हो तो आयोग की अनुमति से ऐसा किया जा सकेगा।

आम चुनाव में चुनाव कार्य/मतदान दलों में नियुक्त किए जाने वाले कार्मिकों को कम से कम कोरोना वैक्सीन की एक डोज लग चुकी हो। यदि किन्हीं ऐसे कार्मिकों को चुनाव कार्य में नियुक्त किया जाता है, जिन्हें कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगी है, तो ऐसे कार्मिकों को नियुक्ति पत्र के साथ ही वैक्सीन लगाने हेतु भी व्यवस्था कर दी जाए।

5. **ईवीएम की आवश्यकता एवं उपलब्धता** – जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराए जाने हैं। इस हेतु आयोग द्वारा आपको पर्याप्त मशीनों का आवंटन किया जा चुका है। आपके जिले में ईवीएम की आवश्यकता एवं उपलब्धता का आंकलन कर लेवें। यदि उपलब्धता से अधिक आवश्यकता है तो जिले में उपलब्ध मशीनों का विवरण एवं संख्या अंकित करते हुए अपनी मांग से आयोग को अवगत कराए। ईवीएम की अतिरिक्त उपलब्धता (Surplus) की सूचना से भी आयोग को तुरन्त अवगत करावें। आपके जिलों में उपलब्ध ECIL की M-2 मॉडल की ईवीएम की प्रथम स्तरीय जाँच भी पूर्व में ही करवाई जा चुकी है।
6. **मतदान सामग्री** – मतदान सामग्री, फॉर्मर्स, लिफाफे आदि का वितरण आपको किया जा चुका है। मतदान केन्द्रों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए यदि अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता है तो आप अपने स्तर पर मुद्रित करा लेवें। अन्य मतदान सामग्री यथा पीठासीन अधिकारी की मुहर, ऐरोक्रॉस सील, कार्डटिंग ट्रे इत्यादि की आवश्यकता और अपने भण्डार में उपलब्धता की जाँच कर लें और यदि कोई कमी हो तो, इस संबंध में आयोग के पत्रांक 9447 दिनांक 16.12.2014 एवं पत्रांक 9451 दिनांक 16.12.2014 के निर्देशानुसार क्रय करने की कार्यवाही करें। पिक पेपर सील, बैटरी, अमिट स्याही की आवश्यकता का आंकलन कर आयोग को दिनांक 18.11.2021 तक अवगत करावें ताकि आयोग कार्यालय से उक्त सामग्री उपलब्ध कराई जा सके।
7. **ईवीएम मतपत्र एवं साधारण मतपत्र** – जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव हेतु ईवीएम मतपत्र मुद्रण के लिए आयोग के पत्रांक 6130 दिनांक 18.12.2019 एवं साधारण मतपत्र के लिए पत्रांक 4974 दिनांक 22.10.2014 के द्वारा आपको विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं। इन पत्रों में अंकित निर्देश यथा आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू हैं। आयोग के निर्देशानुसार मतपत्रों का मुद्रण निजी मुद्रणालयों से करवाया जाना है। मतपत्रों के मुद्रण के लिए विगत चुनावों में आपके द्वारा निजी मुद्रणालयों का चयन कर रखा है। यदि पूर्व चयनित मुद्रणालयों में किसी परिवर्तन की आवश्यकता है तो लेखा नियमों के अनुसार शीघ्र ही नवीन मुद्रणालयों का चयन का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। मतपत्रों के मुद्रण हेतु कागज राजकीय मुद्रणालयों से प्राप्त कर आवश्यक तैयारियाँ यथा समय पूर्ण कर लेवे।

मतपत्र मुद्रण के लिए कागज का आवंटन आयोग के पत्रांक 8050 दिनांक 05.12.2020 एवं 8161 दिनांक 07.10.2020 द्वारा राजकीय मुद्रणालयों का आवंटन किया जा चुका है। यदि संबंधित राजकीय मुद्रणालयों से अभी तक आप द्वारा कागज प्राप्त नहीं किया गया है तो यथासमय कागज प्राप्त कर लेवे।

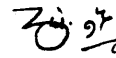
8. बजट – जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव के लिए प्रारंभिक बजट का आवंटन शीघ्र ही कर दिया जाएगा।
9. चुनाव व्यवस्था के लिए प्रकोष्ठ स्थापित करना – जिला स्तर पर चुनाव की व्यापक व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन कर प्रभावी नियुक्त कर लिये जाए।
10. पंचायतीराज निर्वाचनों से संबंधित पुस्तकें –
 1. पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव से संबंधित नियम, अधिनियम एवं अन्य नियमों हेतु Manual of Panchayati Raj Election Law, 2020 पुस्तिका आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
 2. पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों से संबंधित समय-समय पर जारी महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन पुस्तिका 'पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन, 2020' (Compendium of Instructions) पुस्तिका भी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
 3. इसके अतिरिक्त जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए मतदान अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका (ईवीएम से चुनाव होने की स्थिति में) भी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

उक्त पुस्तिकाओं की मुद्रित प्रतियों का वितरण भी आपको किया जा चुका है। पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव हेतु आयोग द्वारा समय-समय पर जारी महत्वपूर्ण निर्देश तत्समय आपको ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किये गये हैं। इन महत्वपूर्ण निर्देशों को राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाया गया है।

11. कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु गाईडलाइन – आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों के दौरान कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु गाईडलाइन तैयार कर पत्रांक 2882 दिनांक 05.07.2021 के द्वारा आपको प्रेषित की जा चुकी है। गाईडलाइन में अंकित निर्देशों की चुनाव में पालना सुनिश्चित की जानी है। कोविड-19 से बचाव हेतु आवश्यक सामग्री यथा मास्क, सैनेटाइजर एवं अन्य सामग्रियों की आवश्यकता का आकलन कर उसके क्रय की व्यवस्था कर लेवे।

कृपया उक्तानुसार तैयार पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,


(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव